Payment of royalty to States

5423. **SHRI SOMAPPA R. BOMMAI**: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the total annual revenue of the Central Government from the production of coal, marble, granite, petroleum products and other natural resources in various States in the country;

(b) what is the annual share of the State Governments in the revenue;

(c) whether Government have received representations from the State Governments for payment of royalty at ad-valorem basis for production of these commodities; and

(d) if so, what is the decision, of any, taken by the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) The total annual revenue of the Central Government from the production of coal & coke, petroleum products and marble, asbestos and other mineral substances (excluding cement clinkers, cement, all sorts) and granite during 1994-95 is estimated to be Rs. 5650 crores.

(b) The net proceeds of Union Excise Duties are paid and distributed to the States on the basis of recommendations of Ninth Finance Commission. The proceeds of cess are not shareable with State Governments.

(c) Yes sir.

(d) In so far as major minerals are concerned, the Government has found that the balance of convenience lies in continuing the royalty rates on tonnage basis. As for coal, no decision has been taken as yet on fixation of royalty rates on ad valorem basis.

कागज पर उत्पाद शुल्क

5424. **श्री [illegible]** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कागज पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण पाठ्य पुस्तकों तथा लेखन सामग्री में लगातार वृद्धि होने के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1994-95 के बजट में, लकड़ी के गूदे से कागज तैयार करने वाली मिलों द्वारा बनाये गये लिखाई और छपाई के कागज पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत ही रहने दिया गया है। तथापि, कम से कम 50% अपरम्परागत सामग्रियों से बनाये गये ऐसे कागज पर, मात्रानुसार और मात्रानुसार एवं मूल्यानुसार दरों के स्थान पर क्रमशः 10% और 15% की विशुद्ध मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क दरें लगायी गयी थीं। कम से कम 75 प्रतिशत अपरम्परागत सामग्रियों से निर्मित कागज के संबंध में, उत्पाद शुल्क के छूट के स्थान पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था, जिसे बाद में घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में, शायद लिखाई और छपाई के कागज पर उत्पाद शुल्क की राशि में वृद्धि हो गयी हो।

(ख) और (ग) पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गयी है। इसके अलावा, पाठ्य पुस्तकों अथवा सामान्य प्रकार की अन्य पुस्तकों की छपाई के लिए विनिर्दिष्ट कागज पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है; चूंकि इस छूट को जारी रखा गया है, इसलिए सामान्यतया इस कारण से पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक लेखन सामग्री का संबंध है, कागज पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत' बनाने के कारण, इसमें कुछ मामूली सी वृद्धि हो सकती है। तथापि, कागज पर उत्पाद शुल्क में किये गये परिवर्तनों के कारण पड़ने वाले संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 75% अपरम्परागत कच्ची सामग्रियों से निर्मित कागज पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटा कर 5% कर दिया है।

Enhancement of Taxes on Tractors

5425. **SHRI S. S. SURJEWALA** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the parts being used in the manufacture of 25 H. P. tractors were being charged sales tax, etc. at lower rate to keep the price of tractor from rising very high;

(b) whether all these concessions have been withdrawn in the current Budget making small and medium tractors costlier by ten to twenty thousand per tractor;

(c) if so, whether Government propose to withdraw the enhanced taxes on the tractor to give relief to farmers;

(d) whether Government withdraw these concessions;

(e) whether Government are aware that they were not passed on by the manufacturers to the customers/farmers; and

(f) if so, whether Government have taken action against the defaulters, the details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (f) Sales Tax is a State subject under the Constitution. The State Governments alone have the powers to grant remission and concession or to rationalise the sales tax structure in their respective States.

Finance Scheme of Punjab & Sind Bank for Farmers

5426. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have started a new scheme for farmers introduced by the Punjab and Sind Bank to make available bank finance for the horticulture projects on banjar or the unproductive land;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the said scheme will initially be confined to Punjab State only;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether the Scheme will be extended to other States as well; and

(f) if so, by when it is likely to be extended and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASEKHAR MURTHY) : (a) to (f) Punjab and Sind Bank, in consultation with the State Government of Punjab, has taken a policy decision to encourage horticulture and other related activities such as farm forestry etc. on lands identified as "Banjar Kadeem". Security of such land will be accepted by the bank by way of mortgage or creation of charge in State of Punjab by the bank provided the Directorate of Horticulture gives a certificate that the land in question is fit for horticulture purposes. The loan is being granted for horticulture development on the same land. The Bank is confining the Scheme initially to Punjab State but could consider extending the same to other States depending upon technical feasibility and economic viability, after studying the results of Punjab State.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

5427. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के बारे में कोई परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो परामर्श की प्रक्रिया के अन्तर्गत कौन से कार्य किये जा चुके हैं; और

(ग) यह मामला विचारण की किस अवस्था में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्री ने 28-2-1994 को अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि उनके तुलन पत्रों को निर्विष बनाने और इनमें नई पूंजी लगाने सहित उनके विस्तृत पुनर्गठन के लिए 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 बैंकों को लिया जाएगा। इन 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुभव आने वाले वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा।

उत्तर प्रदेश में ऋण राहत योजना

5428. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में कितने किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों ने ऋण राहत योजना का लाभ उठाया है;

(ख) दिसम्बर, 1994 के बाद उत्तर प्रदेश के किसे कितनी